संख्या-111/आई/1294473/2026/005-89-1002/18/2026

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारो तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-16- प्रोजेक्ट प्रवीण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-389/दस/ए०सी०-1/2230/2026-27, दिनांक 06.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारो तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-16- प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत रूपये 50000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारो तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-16- प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत **रूपये 50000.00 लाख (रुपये पांच अरब मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1)- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए धनराशि का विनियोग आय-व्ययक नियम संग्रह से सम्बंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। इसका भी ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) ही अकेले किसी भी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिसे करने के लिए आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थापी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की जहां आवश्यकता हो, व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- व्यय करते समय मितव्ययिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये तथा भविष्य में जारी किये जाने वाले शासनादेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(3)- जीरो वेस बजटिंग के अन्तर्गत सरप्लस घोषित पदों सरप्लस घोषित टेलीफोन व वाहनों पर प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि व्यय न की जाय अन्यथा निदेशालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4)- जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकानुसार किश्तों में किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,00,000 (रुपये पाँच अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 069 **लेखा शीर्षक** 2230030031600 प्रोजेक्ट प्रवीण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त 5 (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उ०प्र०, 125, जवाहर, भवन, तखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in